रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 1973/माघ 28, 1894

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 1973/MAGHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th February 1973

No. 1-PR(NP)/73.—Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting herbeby confirm and adopt the Import Policy for Newsprint and Art Paper, as announced in the Ministry of Foreign Trade Import Trade Control Public Notices No. 22-ITC(PN)/73, dated 12th February 1973 and No. 23-ITC(PN)/73, dated 12th February 1973, respectively. Authorisations for indigenous newsprint manufactured by Nepa Mills shall be granted on the basis of the provisions of the said Public Notice and subject to the conditions set out therein

M. A. S. RAJAN, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

संख्या 1-पी० आर० (एन० पी०)/ 73.—भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अखबारी कागज और आर्ट पेपर विषयक उस आयात नीति की एतद्द्वारा पुष्टि करता है और उसे अपनाता है जो क्रमशः विदेश व्यापार मंत्रालय आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना संख्या 22-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, तारीख 12 फरवरी, 1973 तथा संख्या 23-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73 तारीख 12 फरवरी, 1973 में घोषित की गई है। नेपा मिलों द्वारा निर्मित देशी अखबारी कागज की मंजूरी उक्त सार्वजनिक सूचना के उपबन्धों तथा उनमें निहित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

एम० ए० एस० राजन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973